भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 274

उत्तर देने की तारीख : 18 दिसम्बर, 2017

बाल गंगाधर तिलक पर फिल्म

274. डॉ. उदित राज :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 में बाल गंगाधर तिलक पर आधारित फिल्म के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त फिल्म के निर्माण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि की स्वीकृति संबंधी फाइलें और दस्तावेज कथित रूप से गायब हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फिल्म की स्थिति क्या है और स्वीकृत धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(डॉ. महेश शर्मा)

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(क) से (घ) : भारत के गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए, वर्ष 2000-01 के दौरान भारत सरकार ने श्री विनय धुमाले को बाल गंगाधर तिलक पर 2.50 करोड़ रुपए की लागत से एक फिल्म के निर्माण हेतु स्वीकृति दी थी। वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान ही, प्रत्येक 1.25 करोड़ रुपए की दो किस्तों में निधियां जारी की गई थीं। तथापि, फिल्म की स्वीकृति से संबंधित मिसिल को खोजा नहीं जा सका है। इस मिसिल के गुम होने का मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है।

इस मंत्रालय के संबंधित प्रभाग में दिसम्बर, 2012 में प्राप्त एक आरटीआई आवेदन के अनुसरण में, उक्त फिल्म की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए सितम्बर, 2013 में निर्माता से अनुरोध किया गया। श्री विनय धुमाले ने स्वीकृत निधि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) की फोटोप्रतियों के साथ फिल्म की दो कामचलाऊ प्रतियां दिसम्बर, 2013 में प्रस्तुत की। उक्त फिल्म देखने पर तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कुछ जानकारियों के आधार पर इस फिल्म के निर्माण में वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। मामले की विस्तृत जांच के पश्चात इसे जांच के लिए जुलाई, 2015 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया गया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली में एक आरोप-पत्र दाखिल किया गया है तथा न्यायालय ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है।

****